प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एंव निर्भीक साप्ताहिक

समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक – 28 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 11 – 18 जुलाई 2016 मूल्य पांच रूपए

गिरफ्तारी की आशंका के साये में वीरभद्र

शिमला/शैल। मनीलॉडरिंग मामले में ईडी द्वारा वीरभद्र सिंह के एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान की गिरफ्तारी के बाद इस मामले का पूरा परिदृश्य बदल गया है। वीरभद्र अपनी गिरफ्तारी की आशंका को भांपते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण में जा पहुंचे हैं। अदालत से उन्हें राहत मिल पाती है या नही इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नही है। जानकारों का मानना है ईडी के जाल में फंसे छंगन भुजबल को आज तक जमानत नही मिल पायी है। तो वीरभद्र को उसी अधिनियम में राहत कैसे मिल पायेगी। इस मामलें में वीरभद्र और परिवार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। वीरभद्र अपने खिलाफ सीबीआई और ईडी में चल रही जांच के लिये प्रेम कुमार धूमल, अरूण जेटली और अनुराग ठाकुर को जिम्मेदार ठहराते रहें है। जबकि यदि वीरभद्र के पूरे प्रकरण पर मनीलॉडरिंग अधिनियम के परिदृश्य में नजर ड़ाली जाये तो इसके लिये सबसे ज्यादा जिम्मेदार वीरभद्र के अपने ही विश्वस्त रहे हैं।

मनीलॉडरिंग के वर्तमान अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बैंको के लिये यह अनिवार्य है कि वह उनके पास किसी के बैंक खाते में अचानक ज्यादा पैसा जमा होने या सामान्य से ज्यादा निकासी की सूचना निमित रूप से आयकर विभाग को देंगे। इसी अनिवार्यता के चलते आनन्द चौहान के खातों की जानकारी आयकर विभाग में पहुंची। यह जानकारी जब पहुंची तब 2011 में आकर ने आनन्द चौहान से पूछताछ शुरू कर दी। आनन्द चौहान के खातों में 2011 तक कैश जमा होने और उस कैश से वीरभद्र और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर एलआईसी पालिसीयां लिये जाने का रिकार्ड था। आनन्द चौहान ने यह पैसा वीरभद्र के सेब बागीचे की आय बताया सेब बागीचे की आय के नाम पर वीरभद्र को तीन वर्षो की आयकर रिटर्नज संशोधित करने पड गयी। 2013 में मनीलॉडरिंग अधिनियम कुछ संशोधन करके सरकार ने इसे और कड़ा कर दिया। वीरभद्र द्वारा संशोधित आयकर रिटर्नज दायर करने से उन पर भी आयकर की जांच शुरू हो गयी। प्रशांत भूषण ने मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचा दिया। जिसके चलते सीबीआई और ईडी ने 2015 में वीरभद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जो आज दो लोगों की गिरफ्तारी और स्वयं उनके द्वारा गिरफ्तारी की संभावित आशंका के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाने के मुकाम पर पहुंच गया है। ईडी ने 23.3.2016 वीरभद्र, प्रतिभा सिंह ,विक्रमादात्यि और अपराजिता की करीब आठ करोड़ की चल अचल संपति अटैच कर ली है।

अब यदि इस पूरे मामले पर नजर डाली जाये तो यह सामने आता है कि 2011 में आनन्द चौहान की आयकर जांच से यह मामला शुरू होता है। मार्च 2012 में वीरभद्र संशोधित रिटर्नज दायर करते हैं। 2015 में सीबीआई और ईडी मामले दर्ज करते ह। मार्च 2016 में अटैचमैन्ट आर्डर जारी होता है। 2015 में मामला दर्ज होने तक आनन्द चौहान और वीरभद्र इस पैसे को बागीचे की आय करार देते आये हैं। लेकिन किसी ने भी इस पक्ष को नही देखा कि 6 करोड़ का सेब उत्पादन, फिर उसका विक्रय और मार्किट तक उसके ढुलान का कोई ठोस आधार तो तैयार कर लिया जाता। सेब के ढुलाने में लगे वाहनों की मार्किटींग के लिये एन्ट्री होती है। एक प्रतिशत की फीस सरकार की मार्किट कमेटी को जाती है। लेकिन तीन वर्षो में छः करोड़ का सेब बेचा जाता विक्री से जुडे कोई भी ठोस दस्तावेज जांच ऐजैन्सीयों को नही दिखाये जाते हैं। यहां तक की मार्किट कमेटी की फीस तक जमा नही होती है। न तो मार्किट कमेटी यह फीस मांगती है और न ही सेब बेचने खरीदने वाले इस ओर ध्यान देते हैं। जनवरी और फरवरी 2016 में जांच एजैन्सीयां अधिकारिक रूप से निदेशक बागवानी, निदेशक ट्रांसपोर्ट और सचिव मार्किट कमेटी से रिपोर्ट हासिल करते हैं। वीरभद्र सरकार के यह तीनो विभाग जो रिपोर्ट जांच ऐजैन्सी को सौंपते है। यह रिपोर्ट वीरभद्र और आनन्द चौहान के दावों का समर्थन नही करती है। इनके मुताबिक सेब के उत्पादन और उसकी बिक्री से जुडे सारे दावे आधारहीन हैं। इन रिपोर्टो पर आनन्द चौहान और वीरभद्र को अपना पक्ष रखने के लिये ऐजैन्सी बुलाती है। लेकिन यह लोग नही जाते हैं और अनतत: 23.3.2016 को ईडी आठ करोड़ की संपति अटैच कर लेती है।

यहां यह सवाल उठता है कि क्या वीरभद्र के विश्वस्तों ने इनती लंबी चली जांच प्रक्रिया के दौरान इस मामले की गंभीरता का आकलन ही नही किया या फिर उनकी नीयत में कोई खोट था। जानकारों का मामना है कि ईडी के अटैचमैन्ट आर्डर से पहले तक वीरभद्र और आनन्द चौहान को इस संकट से बाहर निकलने के कई रास्ते थे। ईडी की जांच में ठीक से शामिल न होना भी नुकसान देह रहा है। दूसरी ओर धूमल के खिलाफ आयी आय से अधिक संपति की शिकायत पर आज तक मामला दर्ज न हो पाना तो विश्वस्तों की नीयत और नीति पर सीधे सवाल खड़े करता है। यहां तक कि आज जब वीरभद्र अपने विश्वस्तों को धूमल परिवार के मामले में गंभीरता और तेजी लाने के निर्देश देते हैं तो इन पर अमल होने से पहले ही इसकी सूचना अरूण धूमल को पहुंच जाती है और

शेष पृष्ठ 8 पर....................

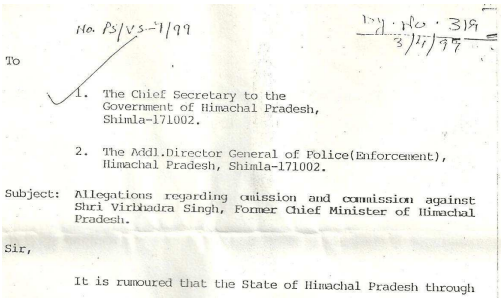

No. PS/VS-7/99

Dy. No. 319
3/4/99

To

1. The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

2. The Addl.Director General of Police(Enforcement), Himachal Pradesh, Shimla-171002.

Subject: Allegations regarding omission and commission against Shri Virbhadra Singh, Former Chief Minister of Himachal Pradesh.

Sir,

It is rumoured that the State of Himachal Pradesh through

जे.पी. और अंबूजा के लिये हुआ जबरन भूमि अधिग्रहण सवालों में

शिमला/शैल। सर्वोच्च न्यायालयों ने द वर्किंग फैन्डज कोआपरेटिव हाऊस बिलडिंग सोसायटी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य और रतन सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया मामलों में राइट टू फेयर कंपनसेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लैण्ड एक्यूजेशन रिहेविलिटेशन एंड रिसटमैन्ट एक्ट 2013 की धारा 24(2) में व्यवस्था देते हुए कहा है कि **Thus compensation can be regarded as "paid if the compensation has Literally been paid to the person interested, or after being offered to such person, it has been deposited in the Court. The deposit of the Award in a Government Treasury would not amount to compensation being paid to the person interested.** सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 और 2015 में उसके पास आये मामलों में भूमि अधिग्रहण की धारा 24 (2) की विस्तृत व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है कि भूमि अधिग्रहण में मुआवजा संबधित व्यक्ति को वास्तव में ही मिला हुआ होना चाहिये। यदि किन्ही कारणों से ऐसा नहीं हो पाया है तो ऐसा मुआवजा अदालत के पास जमा हुआ होना चाहिये। सरकारी ट्रेजरी में जमा करवाये हुए मुआवजे को पेड़ करार नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसा मुआवजा पांच वर्षो तक सबंधित व्यक्ति को नही मिला है तो ऐसा अधिग्रहण स्वत: ही निरस्त हुआ माना जायेगा।

प्रदेश में सरकार ने अंबूजा और जे पी सीमेन्ट उद्योगों के लिये जमीनों को अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण में बहुत सारे किसानों ने अपनी जमीनों के अधिग्रहण का विरोध किया था। लेकिन इन उद्योग घरानो, प्रशासन और राजनेताओं के गठजोड़ के आगे किसानों के विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि जिन किसानों ने आज तक अपनी जमीनो का कब्जा नही छोड़ा हैं उनको मुआवजा प्रशासन की मिली भगत से इन कंपनीयों ने सरकारी ट्रेजरी में जमा करवा दिया । इसी मिली भगत के चलते कब्जे के बिना ही राजस्व दस्तावेजों में जमा करवा दिया। इसी मिली भगत के चलते मांगल विकास परिषद् के नेता एडवोकेट नन्द लाल चौहान के मुताबिक अंबूजा के लिये करीब बारह वर्ष पहले और जे पी के लिये आठ वर्ष पहले सरकार ने जबरन भूमि अधिग्रहण किया था। लेकिन इसमें करीब चार सौ बीघा जमीन पर आज भी मालिक किसानों का ही कब्जा हैं जबकि राजस्व में इनदराज बदल दिये गये है।

इन किसानों ने आज तक कंपनीयों से मुआवजा नहीं लिया हैं प्रशासन ने मुआवजे का पैसा सरकार की ट्रेजरी में जमा करवा रखा है। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह जबरन हुआ भूमि अधिग्रहण स्वत: ही खत्म हो जाता है। इस फैंसले से इन जमीनो पर किसानों का हक बहाल हो जाता है। राजस्व अधिकारियों को राजस्व इन्दराज किसानो के नाम करने होगें। मांगल विकास परिषद् ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सर्वोच्च न्यायालय के फैंसले पर तुरन्त प्रभाव से अमल किये जाने की मांग की हैं उधर संबंधित प्रशासन से जब इस बारे में जानकारी मांगी तो उसका कहना था कि जे पी और अंबूजा को लेकर कोई फैंसला ही नही आया है। जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सं)र्भ में पूछा तब एसडीएम कार्यालय अर्की ने ऐसे फैसले की जानकारी होने से ही इन्कार किया। जबकि इस सं)र्भ में सारी कारवाई ही एसडीएम कार्यालय से शुरू होनी है। जे पी और अंबूजा सीमेन्ट के लिये हुए अधिग्रहण को लेकर स्थानीय लोग कई बार आन्दोलन कर चुके हैं अब सबकी नजरें इस पर लगी हुई है। कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैंसले पर अमल करने के लिये कितनी जल्दी कितने प्रभावी कदम उठाती है। क्योंकि लोगों को अभी भी सन्देह है कि इन कंपनीयों के दवाब के आगे सरकार इस फैसले पर अमल करने में टाल मटोल करेगी।

पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों की शक्तियों में राज्य सरकार द्वारा कोई कटौती नहीं:अनिल शर्मा

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री अनिल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध है, और इसके लिये निचले स्तर पर शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता यह दावा कर रहे हैं कि पंचायती राज संस्थानों की

शक्तियों को कम किया गया है, जो कि राजनीति से प्रेरित है एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने कहा कि 14वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार धनराशि सीधे पंचायतों को प्रदान की जा रही है, और आयोग की सिफारिशों में अन्य दो स्तरों अर्थात जिला पंचायत तथा पचांयत समिति को धनराशि प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। सिफारिशों में स्पष्ट किया गया है कि धनराशि केवल ग्राम पंचायत को ही प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायतें इस राशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पचांयत क्षेत्र में मूलभूत नागरिक सेवाओं को प्रदान करने हेतु व्यय करेगी जिसके लिए प्रत्येक पंचायत को वार्षिक योजना तैयार करनी होगी।

उन्होंने कहा कि 14वें वित्तायोग की इन सिफारिशों को वर्तमान केन्द्र सरकार ने ही स्वीकृत किया है, जिनमें जिला परिषद तथा पंचायत समितियों को धनराशि से वंचित किया गया है। जबसे ये सिफारिशें राज्य सरकार को प्राप्त हुई है उसी समय से राज्य सरकार केन्द्र सरकार को इनमें संशोधन करने हेतु आग्रह कर रही है ताकि 14वें वित्तायोग की राशि में से कुछ हिस्सा जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों को भी प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बार-बार आग्रह के बावजूद केन्द्र सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री की ओर से यह मामला प्रधानमन्त्री से भी उठाया गया है, लेकिन एक मास से अधिक का समय व्यतीत होने पर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अनिल शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल का यह ब्यान भी निराधार है कि 14वें वित्तायोग की धनराशि को व्यय करने के लिए खण्ड स्तर पर अधिकारियों की समिति गठित की गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने स्तर पर इस धनराशि को व्यय करने के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करेगी, जिन्हें ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर सम्बन्धित विकास खण्ड स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड की सभी पंचायतों की योजनाओं को समेकित करके जिला को भेजा जाएगा और जिला स्तर पर जिला योजना समिति द्वारा इसे अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदन के बाद योजना का पूर्ण कार्यान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा और धनराशि पहले ही सीधे ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई है। इस प्रकार योजना को तैयार करने तथा कार्यान्वयन करने में ग्राम पंचायत पूर्णतय: सक्षम है, और किसी भी स्तर पर कोई भी अधिकारी इसमें परिवर्तन करने हेतु प्राधिकृत नहीं है। यदि ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना में ऐसे कार्यों को शामिल किया गया है जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है उनके बदले नए कार्यों को शामिल करने का अधिकार भी ग्राम सभा को ही है। इस प्रकार यह आरोप निराधार है कि 14वें वित्तायोग की धनराशि को खर्च करने के लिए खण्ड स्तर पर अधिकारियों की समिति बनाई गई है। इस प्रकार की समिति बनाने के लिए न तो विभाग द्वारा कोई पत्र जारी किया गया है और न ही कोई दिशा निर्देश।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमन्त्री का यह ब्यान भी बिल्कुल निराधार है कि उनकी सरकार द्वारा जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों को विकास कार्यों हेतु धनराशि प्रदान की गई थी। 12वें तथा 13वें वित्तायोग के तहत जो धनराशि पंचायत समिति और जिला परिषद को प्रदान की गई थी वह उक्त वित्तायोगों की सिफारिशों के मध्यनजर ही प्रदान की गई है अर्थात केन्द्र सरकार द्वारा उक्त वित्तायोगों की सिफारिशों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार को प्रदान की गई थी इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों को राज्य निधि से विकासात्मक कार्यों हेतु 1995 से लेकर अब तक कोई भी धनराशि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के माध्यम से प्रदान नहीं की गई। राज्य वित्तायोग पंचायती राज के तीनों स्तरों को केवल वचनवद्ध दायित्व हेतु अनुदान प्रदान करती है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 66 स्थान चयनित

शिमला/शैल। वन एवं मत्स्य मंत्री हिमाचल प्रदेश ने भरमौर में जन समस्याओं को सुना एवं अधिकारियों को आदेश दिए कि लोगों की समस्याओं को जल्द निपटाया जाए।

इस अवसर पर उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कुशल नेतृत्व में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा ईको टुरिज्म पॉलसी लाई गई है। उन्होंने कहा कि आरम्भ में ईको टुरिज्म के तहत पुरे प्रदेश में 66 स्थान चयनित किये हैं। इन में से 47 स्थानों पर विभागीय व 19 स्थानों पर पी.पी. मोड पर ईको टुरिज्म कार्य किये जायेगें, जहां स्थानीय लोग न केवल प्राकृति के साथ जुड़ेगें बल्कि उन्हें घर द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध होगा तथा देश-विदेश के पर्यटक हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुन्दरता को निहार सकेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुये कहा कि ईको टुरिज्म स्थानों का चयन वन विभाग के विभिन्न वृत्तों व मण्डलों में किया गया है तथा वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं इन स्थानों पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाये।

सरकार का अप्रेन्टिस प्रशिक्षण योजना के कार्यन्वयन पर बल

शिमला/शैल। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशानुसार प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऐसे समस्त सार्वजनिक/निजी उपक्रमों एवं विभागों जिनमें कर्मचारियों की संख्या छ: से अधिक है, को राष्ट्रीय अप्रेन्टिसशिप पोर्टल www.apprenticeship.gov.inपर पंजीकरण करना अनिवार्य बनाया गया है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि अप्रेन्टिस अधिनियम, 1961 को उद्योगों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) के अंतर्गत अप्रेन्टिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के नियमन के उद्देश्य से लागू किया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योगों के लिये कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य के दौरान उद्योगों में मौजूद प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करके उद्योगों को प्रशिक्षित श्रमशक्ति प्रदान करना है। अप्रेन्टिस अधिनियम, 1961 तथा अप्रेन्टिस नियम, 1992 में संशोधन किया गया है, और इन्हें क्रमश: 22 दिसम्बर, 2014 तथा 16 जून, 2015 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एटीएस के कार्यान्वयन के लिये प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के अंतर्गत वैब पोर्टल को क्रियाशील बनाया गया है। इससे कागजी कार्य एवं समय की बचत होगी। एटीएस के अंतर्गत स्थापना, पंजीकरण, स्थापना अनुसंधान, अप्रेन्टिस नियुक्त करना एवं उनका पंजीकरण, अनुबंध एवं रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एटीएस कौशल भारत मिशन की एक उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत देश के युवाओं को गुणात्मक प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल श्रमशक्ति तैयार करना है।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders are herby invited /re-invited on form No. 6&8 by the Executive Engineer, HPPWD Division Barsar on behalf of Governor of H.P. for the following works from the approved and eligible contractors/firms enlisted in H.P. P.W.D.in the appropriate class so as to reach in this office on or before 02.08.2016 to 10:30A.M. and will be opened on the same day at 11:00 A.M. in The presence of intending contractors or their authorized representative. the tender form can be had from this office against cash payment (Non-Refundable) on 01.08.2016 upto 4:00 PM. The offer of the tender shall be kept open for 120 days.

Name of work No. 1. C/O Govt High School Badher (SH:- 1 No. class room with verandah) **Estimated cost** 5,69,392/- **Earnest Money** 11,500/- **Time** One Year **Cost of form** 350/-

TERMS AND CONDITIONS:-

No. 1. The Earnest Money in the shape of National saving certificate /Time deposit Accounts/ Saving Account /FDR in any of the post office National Bank in duly pledged in favour of the Executive Engineer Barsar must be accompanied with the application.

No. 2. Conditional tenders received without earnest money will out rightly be rejected.

No. 3. The contractor shall accompany has enlistment/ renewal order with his application for obtaining the tender documents.

No. 4. Executive Engineer Reserves the right to reject the tender without assigning any reason.

No. 5. The work will be completed by the contractor without the stipulated period.

No. 6 Tender forms will not be issued to those contractors who are registered under HPGST Act, 1988 & photo copy of individual PAN No. allotted to them attached with their application at the time of applying for tender documents. Application will not be entertained without aforesaid documents.

No. 7. The contractor /firms are required to insert the rate of each item in words as well as in figures failing which Executive Engineer reserves the right to accept/ rejects any overall tender.

No. 8. The Tender shall be issued to only those contractors /firm ho are found eligible suitable and competent.

No. 9. . The tender shall be issued to eligible contractor depending upon their past performance and work experience which shell be duly evaluated by the technical evaluation committee.

No. 10.. The Tender forms of soling , wearing and tarring shell be issued only to those contractors who will produce proper documents of ownership of required machinery and completion certificate of similar work issued by the concerned Executive Engineer also required.

No. 11. Bituman for patch work /Pot holes repair shell be arranged by the contractor himself and contractor /firm having necessary documents past adequate experience shell be preferred.

No. 12. Contractor who have failed to start /complete the work in hand with in reasonable time shell not be issued tender form.

No. 13. Ones contractor should not have more works in hand at a time.

No. 14. If **02.08.2016** happens to be holiday the tender shall be opened on next working day at 11:00A.M.

Adv. No.-1416/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
e-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS(IFB)

The Executive Engineer HPPWD Theog Distt Shimal H.P on behalf of H.P Re invited the online bids on item rate in In Electronic tendering system in -2 cover system for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD. Department.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender	Eligible class of Contractor
1.	Annual Maintance plan of Matiana Baragaon road km 0/0 to 25/870(SH:- P/L PMC 20mm thick cold mix technology in km at RD 0/0 to 2/0 i/c C/o V-shape drain In essential reaches for the year 2016-17 .	14,41,339/-	28,900/-	500/-	Class D.

Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submitted in online on mode on website http://hptenders.gov.in.

Bidder would be register in the web-site which is free of cost. For submission of bids , the bidder is required to have Digital signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities(CA) "Aspiring bidders ho have not obtained there ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: https://hptenders.govt.in. in / digital signature is mandatory to participate in the e-tendering Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key Dates:-

1. Date of Online Publication :	14.07.2016 up to 10:00 HRS
2. Document Download Start and End Date	14.2016. 18:00 HRS up to 04.08.2016 18:00 HRS.
3. Bid Submission Start and End Date	14.07.2016 18:00 HRS upto 04.08.2016 18:00 HRS
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document.	06.08.2016 upto 10:30 HRS.
5. Date of opening of Technical Bid opening Evaluation of Technical Bid followed by opening of Financial Bid	06.08.2016 11:00 HRS

4.Tender Details:-

The Tenders documents shall be uploaded online in 2 cover.

i) **Cover -1:-** Shall contain scanned copies of all **" Technical Documents/eligible Information"**

ii) **Cover-2:-** Shall contain **"BOQ/Financial Bid"** where contractor will quote his for each item.

5. **SUBMISSION OF ORGINIAL DOCUMENTS:-**The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in the O/o Executive Engineer theog Division H.PPWD. Theog HP as specified in Key dates Sr .No. 4 on Tender Opening Date. Failing which the bid will be declared non-responsive.

6.BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on 06.08.2016 at 11:00 HRS in the office. In the office of Executive Engineer Theog (HP)by the authorized officer. In their interest the tenders are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids a specified ,the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 120 days .after the deadline date for bid submission.

8. Other details can be seen in the biding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control .Even thought the system will attempt to notify the bidders of any bids updates. The Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-1410/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मुख्यमंत्री का कर्मठ एवं ईमानदार राजनीतिज्ञों के समर्थन का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बिलासपुर जिले के झण्डूता विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को

सम्बोधित करते हुए कहा कि भावी पीढ़ियों को ईमानदार एवं कर्मठ राजनीतिज्ञों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इन राजनीतिज्ञों का समाज में आज भी सम्मान एवं प्रतिष्ठा है, और बड़ी संख्या में लोग इनका अनुसरण करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकारों के शासनकाल में देश का सर्वांगिण विकास हुआ है। कांग्रेस ने ही भूमि मुजारों को उसी भूमि का मालिक बनाया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस ही है, जिसने किसानों की दशा पर विचार करते हुए उनके कर्जों को माफ किया जिसके कारण तथा अनेक अन्य कारणों से लोगों ने आजादी के उपरांत अनेकों बार कांग्रेस को सत्ता में लाया।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राज्यों के गठन के उपरांत अपार उन्नति हुई है और प्रदेश सरकार हमेशा ही राज्य के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों तथा वृद्धजनों को पेंशन लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये की गई है और वर्तमान में राज्य में 3,63,825 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में बेघर लोगों को भूमि उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब भूमिहीन लोगों को मकान बनाने के लिए तीन बिस्वा तथा शहरी क्षेत्रों के भूमिहीनों को दो बिस्वा भूमि निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को राज्य सरकार की कल्याण नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए, ताकि लोग उनके कल्याण के लिये कार्यान्वित की जा रही नीतियों के बारे में अच्छी तरह परिचित हों। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य के सभी भागों का समान विकास सुनिश्चित बनाया है। उन्होंने कहा कि वह कोटधार में पहले भी आए हैं और क्षेत्र का पैदल दौरा किया था, लेकिन आज यह देखकर संतुष्टि हुई है कि यह क्षेत्र बेहतर सड़क नेटवर्क से जुड़ा है।

मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च पाठशाला गंगलोह को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कलोल में एक्स-रे प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना की और कहा कि सरकार सदैव ही उनकी मांगों को लेकर संजीदा है।

मुख्यमंत्री ने अरूणांचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली का स्वागत किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अरूणांचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार की आज तक की सबसे बड़ी जीत है तथा उन लोगों को कड़ा संदेश है जो कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को गिराने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का वर्चस्व आज भी कायम है और 'लॉ ऑफ द लैंड' सभी साजिशों से ऊपर है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि पहले उत्तराखण्ड और अब अरूणांचल प्रदेश में न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखा है, और दोनों मामलों में ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इससे केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग पर अंकुश लगेगा।

महिला एवं बाल विकास योजनाओं पर 404.47 करोड़ खर्च: डॉ. शांडिल

शिमला/शैल। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान 404.47 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने यह जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रोहडू में पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं जागरूकता शिविर के उद्घाटन अवसर पर अपने सम्बोधन में दी।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश में 18925 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष लगभग 4 लाख 40 हजार बच्चों व 1,576 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

डॉ. शांडिल ने कहा कि रोहडू तहसील में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 3.15 करोड़ रुपये की राशि प्रतिवर्ष खर्च कर 3549 लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशन के 500 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। आवास निर्माण योजना के तहत वर्ष 2016-17 के लिए 26 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं, जिस पर 19 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

उन्होंने इस अवसर पर 'बेटी है अनमोल' योजना के तहत 26 नन्हीं

बच्चियों को 10 हजार प्रति बेटी 2 लाख 60 हजार रुपये की राशि के चौक भी प्रदान किए।

उन्होंने 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' के अन्तर्गत इन महिलाओं को 75 हजार रुपये की राशि के चौक भी प्रदान किए। उन्होंने अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत रोहडू क्षेत्र में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण तथा विद्युत विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य के तहत इस योजना में कुल चार में से तीन योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा इस वर्ष 1.83 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसके अन्तर्गत 18 सड़कों का कार्य चल रहा है। विद्युत विभाग द्वारा रोहडू सर्कल में उपयोजना के तहत 11 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से इस उपयोजना के तहत किए जाने वाले कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लम्बे समय से निर्माणाधीन अम्बेदकर भवन का भी औचक निरीक्षण किया तथा इसके शीघ्र निर्माण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने रंताड़ी क्षेत्र का दौरा किया और विशेष रूप से साहसिक पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखने का आश्वासन दिया।

हिमाचल में होगा कार्यान्वित 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यान्वित किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान 9 अगस्त, 2016 से प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत गर्भावस्था की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में गर्भवती महिला की जांच की जाएगी ताकि उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओं की पहचान करके उनका इलाज किया जा सकें। अस्पताल में कम से कम एक चिकित्सक होना अनिर्वाय है। उन्होंने कहा कि अधिक जटिलता की स्थिति में महिलाओं को उच्चतर स्वास्थ्य संस्थान में भेजा जाएगा, जहां उन्हें चिकित्सक की निगरानी में रखकर उनका उपचार किया जाएगा, जिससे प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में और कमी आएगी।

यह सुविधा प्रत्येक महीने की 9 तारीख को उपलब्ध होगी और यदि किसी महीने की 9 तारीख को सरकारी अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को चिकित्सक की उपलब्धता वाले स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्ता व ए.एन.एम. की सहायता ली जाएगी।

वन कर्मियों को संवेदनशील क्षेत्रों में हथियार रखने की अनुमति

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने वन विभाग को पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड तथा हरियाणा के साथ लगते वन सीमाओं में अवैध रूप से हो रहे वन कटान व लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में तैनात वन विभाग के कर्मियों को

पिस्तौल-बंदूक/रिवाल्वर /राईफल रखने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि तस्करी में संलिप्त लोग आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होते हैं तथा घटनाओं को अंजाम देते हैं, जबकि वन कर्मी बिना हथियारों के अपना कार्य करते हैं और इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने यह निर्णय है।

उन्होंने कहा कि बिलासपुर, धर्मशाला और हमीरपुर वन परिक्षेत्र में हथियार रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, वन मंडल नालागढ़, नूरपुर तथा ऊना के अलावा वन क्षेत्र नालागढ़, बददी, इंदौरा, रे, ऊना, अंब भरवाईं में भी हथियारों को रखने की अनुमति होगी।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा क्रय किए गए अस्त्र एवं शस्त्र वन विभाग की सुरक्षित निगरानी में रखे जाएंगे और इनका ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। प्रयोग किए गए प्रत्येक कारतूस व गोली की गिनती कर इसका विवरण एवं कारणों सहित रजिस्टर में इंदराज करना होगा। उन्होंने कहा कि वन परिक्षेत्रों को अस्त्र व शस्त्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे और कार्य पूर्ण होने पर ये सम्बन्धित अधिकारी को वापिस किए जाएंगे।

वन माफिया पर नियंत्रण के लिए सरकार उठा रही प्रभावी कदमः वन मंत्री

शिमला/शैल। वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि प्रदेश सरकार वन माफिया पर नियंत्रण

पाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है ताकि बहुमल्य वन सम्पदा के संरक्षण के साथ-साथ भावी पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखा जा सके।

बिलासपुर जिला के नेरस में आयोजित 67वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव अवसर पर भरमौरी ने कहा कि अवैध कटान का जो भी मामला सरकार के सामने आया है, उसमें कानूनी व विभागीय कार्यवाही अमल में लाकर कठोर कारवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इन मामलों को लेकर विपक्ष अनावश्यक ब्यानबाजी कर रहा है।

उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार वन माफिया को लेकर सदैव संजीदा रही है और कांग्रेस सरकार की थी जिसने मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में बहुत पहले हरे वृक्षों के कटान पर रोक लगाई थी। उसी की वजह से हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा हरित क्षेत्र में वृद्धि आंकी गई है। प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है कि वनों की बहुमूल्य धरोहर को न केवल मौजूदा पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संजोए रखेंगे और इसका अवैध दोहन किसी भी व्यक्ति को नहीं करने देंगे।

जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरुरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन .....चाणक्य

सम्पादकीय

विश्वास और एकजुटता का अर्थ

मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के एल आई सी ऐजैन्ट आनन्द चौहान और सेब व्यापारी चुन्नी लाल की प्रर्वतन निदेशालय तथा सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ने दूसरे ही दिन अपने मन्त्री मण्डल की बैठक बुलाई और इस बैठक में मन्त्री मण्डल ने एक संक्षिप्त प्रस्ताव पारित करके मुख्यमन्त्री में पूर्ण विश्वास प्रकट करके एक जुटता दिखाई है। जब मुख्यमन्त्री के आवास पर छापामारी हुई थी तब भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस और मुख्यमन्त्री ने इस गिरफ्तारी के कदम को केन्द्र सरकार की ज्यादती करार दिया है। मुख्यमन्त्री ने एक बार फिर इसके लिये केन्द्रिय वित्त मन्त्री अरूण जेटली और धूमल पुत्र सांसद अनुराग ठाकुर को कोसा है। वीरभद्र अपने खिलाफ हो रही कारवाई के लिये शुरू से ही अरूण जेटली, प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर को कोसते आ रहे हैं। वीरभद्र के इस बार-बार कोसने और कांग्रेस तथा सरकार द्वारा उनके साथ हर बार एक जुटता और विश्वास दिखाने से कुछ ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिनसे पूरी सरकार और स्वयं वीरभद्र सवालों में घिर जाते हैं। प्रदेश की पूरी जनता इन आरोपों और प्रत्यारोपों पर पूरी गंभीरता से नजर बनाये हुए है।

वीरभद्र के पूरे प्रकरण पर यदि नजर दौड़ाएं तो स्पष्ट हो जाता है कि जब वीरभद्र सिंह से इस्पात मन्त्रालय लेकर लघु उद्योग मन्त्रालय दिया गया था तब वीबीएस और ए एस जैसे सांकेतिक नाम चर्चा में आये थे। उसके बाद 2013 में प्रशान्त भूषण ने इस मामले को आगे बढ़ाया जिसके परिणामस्वरूप 2015 में सीबीआई और ईडी ने मामले दर्ज किये जो आज अटैचमैन्ट तथा गिरफ्तारीयों तक पहुंच गये। लेकिन इसी पूरे समय में वीरभद्र सरकार ने एच पी सी ए के खिलाफ मामले बनाये जिनमें आज तक कोई परिणाम सामने नहीं आया। सारे मामलों पर अदालत में फजीहत जैसी स्थिति बनी है। अरूण जेटली के खिलाफ वीरभद्र ने मानहानि का मामला दायर किया जिसे वापिस ले लिया। धूमल की संपतियों को लेकर मार्च 2013 से वीरभद्र सरकार के पास शिकायत लंबित है। वीरभद्र इस मामले में कई बार जांच पूरी होकर एफआईआर दर्ज किये जाने के दावे का चुके हैं। लेकिन यह सारे दावे हवाई सिद्ध हुए हैं क्योंकि आज तक कोई मामला दर्ज नहीं हो पाया है। धूमल के खिलाफ शुरू किये गये हर मामले में सरकार की फजीहत ही हुई है।

इस पूरी वस्तुस्थिति को सामने रखकर सामान्य सवाल खड़ा होता है कि क्या वीरभद्र सरकार जानबूझ कर धूमल के खिलाफ आधारहीन मामले खड़े कर रही थी? या इन मामलों का आधार बनाकर धूमल पर दवाब बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि वह केन्द्र में वीरभद्र की मदद करें? यदि धूमल-अनुराग के खिलाफ सारी शिकायतें जायज थी तो फिर यह मामले आगे क्यों नहीं बढ़े? क्या वीरभद्र के मन्त्री या अधिकारी धूमल की मदद कर रहे थे जिसके चलते इन मामलों के कोई परिणाम सामने नही आये। क्योंकि एक तरफ मामले बनाना और उनके असफल होने का कड़वा सच है तो दूसरी ओर वीरभद्र सिंह द्वारा जेटली, धूमल और अनुराग को लगातार कोसने का सच है। यह दोनों चीजें एक ही वक्त में सही नहीं हो सकती। यदि यह सब सच है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वीरभद्र की अपने शासन और प्रशासन पर कोई पकड़ नही रह गयी है। इस हकीकत को सामने रखते हुए इस मन्त्रीमण्डल और पार्टी के विश्वास तथा एकजुटा दिखाने का कोई अर्थ नही रह जाता है। क्योंकि यह लोग तो तभी तक मन्त्री हैं जब तक मुख्यमन्त्री का इन पर विश्वास बना हुआ है। विश्वास का पैमाना तो प्रदेश की जनता है। क्या यह आप पर पुनःविश्वास व्यक्त करेगी इसका पता तो जनता के बीच जाकर ही लगेगा। क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नही हो सकती कि आप धूमल अनुराग को कोसने का काम भी जारी रखें और उनके खिलाफ बने मामले भी असफल होते जायें तथा आप जनता से यह उम्मीद करे कि वह आप पर विश्वास करें।

वैध कार्य दरकिनार अवैध को नमस्कार

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 8 जून, 2016 को एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसके अंतर्गत अवैध तरीके से बने भवनों को वैध घोषित कर उन्हें कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि जब शहरी एवम् उपनगरीय क्षेत्रों के लिए सरकार नें बहुत समय पहले डिवैल्पमैंट प्लान सोच समझ कर स्वीकार किया है तथा उसके अनुसार ही इन क्षेत्रों में भवन निर्माण हो रहे हैं, कुछ को छोड़ कर, तो फिर इन चन्द ऊंची पहुंच वाले अवैध भवन निर्माणकर्त्ताओं के लिए अध्यादेश के माध्यम से कानून में संशोधन क्यों? शहर के बाहर पहले से बसे क्षेत्र जो बाद में मर्जड एरिया के तौर पर शहरी क्षेत्र मे शामिल हुए, उनकी समस्या तो कुछ हद तक जायज हो सकती है यदि उनके लिए सरकार नें कोई डिवैल्पमैंट प्लान नहीं बनाया था।

डिवैल्पमैंट प्लान अनुसार भवन निर्माण की अनुमति के समय कुछ आवश्यक डॉक्यूमैंट, एफिडेविट सहित संबन्धित अथॉरिटि को देने होते हैं जिनकी कानूनी वैधता होती है, एफिडेविट में भू-मालिक ने शपथ ली होती है कि भवन निर्माण के दौरान वह सरकार द्वारा निर्धारित नियम-कानून और मापदंडों का हर हाल में

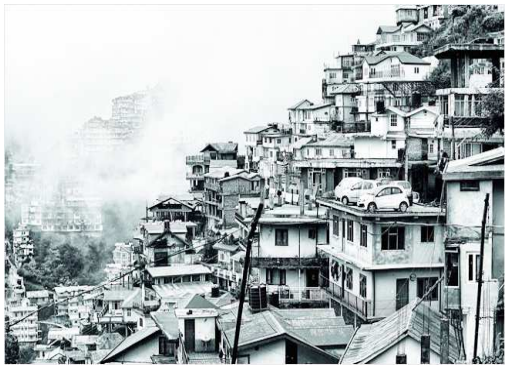

अनुपालन करेगा। यह भी जांच का विषय है कि अवैध भवन निर्माणकर्त्ताओं नें रास्ते के लिए नियमानुसार जगह छोड़ी है या नहीं जैसा उन्होंने एफिडेविट में शपथ ली है।

जिन्होंने डिवैल्पमैंट प्लान के अनुसार विगत वर्षो में भवन नक्शा सम्बन्धित विभाग से स्वीकृत कराने उपरान्त जानबूझकर अवैध भवन निर्माण किया या कर रहे हैं, उन्हें नहीं बख्शा जाना चाहिए। बल्कि जानबूझ कर गलती करने वालों और कराने वालों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि आगे के लिए भी ऐसे लोग कानून तोड़ने से पहले सौ बार सोचने के लिए विवश हों।

नए अध्यादेश से आम जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं। पर हां! यह लाभ ऊंची पहुंच वालों के हित में अवश्य है। सरकार नें अध्यादेश में 30 प्रतिशत सैटबैक भी बड़ी चतुराई से परिभाषित किया है जो अपने आप में स्पष्ट भी नहीं हैं कि वह भवन के चारों ओर एक समान छोड़ा जाएगा अथवा भवन के एक ही ओर छोड़ने पर भी मान्य होगा?

अध्यादेश के अनुसार अवैध भवन अथवा स्वीकृत मंजिलों से अधिक मंजिलों का अवैध निर्माण और ऊपर से 70 प्रतिशत तक सैटबैक मेंछूट, कानून तोड़ने वाले प्रभावशालियों को कुछ दण्ड राशि के भुगतान के बाद नियमित कर दिया जाएगा। क्या सरकार ईमानदारों को भूल गई? सरकार का फैसला न्यायोचित नहीं है। मात्र 30 प्रतिशत सैटबैक के साथ शहरी इलाकों में अवैध भवनों को कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि साथ लगते छोटे मकानों की हवा, रोशनी आदि तो प्रभावित होगी ही साथ में किसी भी आपदा के दौरान बचाव कार्य में भी कठिनाई निश्चित है। शहरी एवम् उपनगरीय क्षेत्रों के डिवैल्पमैंट प्लान के अनुसार सैटबैक पर कोई निर्माण मान्य नहीं है।

पूरा हिमाचल प्रदेश भूकम्प के सिस्मिक जोन 4-5 में पड़ता है तथा हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के संदर्भ में बेतरतीब बहुमंजिला भवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं। किसी भी आपदा के समय यह अवैध भवन शहर को श्मशान में बदल देंगे। अतीत में हमने इस आपदा को बहुत झेला है। ऐसे में बेहतर होता कि अतीत से सीख लेते हुए बसते शहरों का रूप बिगाड़ने की बजाए उन्हें सुंदरता की ओर ले जाएं ताकि हमारी भविष्य की स्मार्ट सिटि की कल्पना साकार हो सके।

परन्तु प्रदेश सरकार के व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि सरकार अवैध साधनों से धन कमाना चाहती है। एक नीतिपरक सरकार का उद्देश्य अवैध कामों पर जुर्माना लगा कर धन कमाना कतई नही होना चाहिए। ऐसा करके प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को ही अप्रत्यक्ष तरीके से बढ़ावा दे रही है। जबकि अवैध कार्यो के लिए सजा का प्रावधान है। संविधान में भी अवैध कार्यो को मान्यता नहीं। ऐसे में कहाँ तो सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही जानबूझ कर गलती करने वालों के खिलाफ करने का निर्णय लेकर, अवैध भवन अथवा भवन का अवैध भाग गिराने के आदेश देकर ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए था कि कोई कभी भी अवैध निर्माण न कर सके और अवैध को गिराने का खर्च भी दोषी से वसूलना चाहिए। हैरानी की बात है कि नियम कानून के होते हुए अधिकारियों के नाक तले इतनें विशाल अवैध भवन कैसे बन गए?

ऐसे अध्यादेश लाए जाने का विपक्ष को भी जनहित में विरोध करना चाहिए पर दिक्कत यह है कि जब उनकी सरकार होगी तो वे भी अवैध को वैध करने का तरीका निकालते रहे हैं और आगे भी निकालने से शायद ही गुरेज करें। इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि विपक्षियों ने भी अवैध निर्माण किए हों। इसीलिए वे शायद चुप हैं। आंखें मूंदना किसी समस्या का समाधान नहीं होता बल्कि उसे समर्थन देने के समान है। पर यह चुप्पी एक कितनी खतरनाक हो सकती है, इस बात से सरकार पता नहीं क्यों अनजान हैं?

कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश सरकार का रिटेंशन पालिसी के नाम पर प्रभावशाली लोगों एवम् संस्थाओं को फायदा पहुंचाने की सरकार की यह पालिसी तर्क संगत नहीं लगती। ऐसे में बेहतर होगा कि सरकार अवैध अथवा अनैतिक निर्माणों को गंभीरता से ले और अध्यादेश के माध्यम से इसे कानूनी शक्ल प्रदान ना करे। प्रदेश की बेहतरी इसी में है कि ऐसे अध्यादेश लाने से पहले सरकार प्रदेश के भविष्य के बारे में ईमानदारी से सोचे और गैर शहरी क्षेत्रों के विकास के बारें में भी समय से कानून बनाए। जहां तक शहरी एवम् उपनगरीय क्षेत्रों का सवाल है डिवैल्पमैंट प्लान पहले से उपलब्ध है तथा उसे सख्ती से लागू किया जाए और दोषियों को दण्डित किया जाए। कृष्ण कुमार चौधरी

हिमाचल की खुशहाली व आर्थिक सम्पन्नता का प्रतीक 'सेब'

विविध कृषि-जलवायु, स्थलाकृतिक विविधता एवं विभिन्न उंचाई वाले क्षेत्र, उपजाऊ, गहरी एवं शुष्क मिट्टी जैसी अनुकूल परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश को शीतोष्ण एवं उष्ण-कटिबंधीय फलों के उत्पादन के लिये एक उपयुक्त स्थल बनाती हैं। राज्य सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र में दिए जा रहे विशेष बल के फलस्वरुप आज प्रदेश में 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को फलोत्पादन के अंतर्गत लाया जा चुका है, जबकि वर्ष 1950-51 में महज 792 हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी के अधीन था। इसी प्रकार, वर्ष 1950-51 में फलों का उत्पादन केवल 1200 टन था, जो आज बढ़कर 8.19 लाख टन तक पहुंच गया है।

हालांकि राज्य में प्रगतिशील एवं मेहनती उत्पादकों द्वारा विभिन्न प्रकार की फल फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन सेब राज्य के सात जिलों की लगभग 1.70 लाख परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है। प्रदेश में फल उत्पादन के अंतर्गत कुल क्षेत्र में से 49 प्रतिशत सेब के अधीन है, जो कुल फल उत्पादन का 85 प्रतिशत है। सेब का उत्पादन मुख्यत: शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मण्डी, चम्बा तथा सिरमौर जिलों में किया जाता है। जनजातीय जिला लाहौल-स्पिति के

लोग भी अब बड़े पैमाने में सेब के पौधों का रोपण कर रहे हैं। वर्ष 1950-51 में सेब के अधीन 40 हेक्टेयर क्षेत्र था, जबकि वर्ष 1960-61 में 3,025 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की खेती की जाती थी, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 1,09,553 हेक्टेयर हो गई है। यह दर्शाता है कि राज्य की अधिकांश आबादी सेब की फसल पर निर्भर है।

हिमाचल प्रदेश की लगभग 3500 करोड़ रुपये की सेब आर्थिकी न केवल राज्य की खुशहाली की रीढ़ है, बल्कि इससे प्रदेश तथा अन्य राज्यों के हजारों हितधारक जैसे ट्रांसपोटरों, कार्टन निर्माताओं, नियंत्रित वातावरण भण्डारण/शीत भंडारण मालिकों, थोक फल बिक्रेताओं, फल विधायन इकाइयों के मालिकों के अतिरिक्त लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रोजगार मिलता है। सेब आर्थिकी ने प्रदेश के लोगों का अभूतपूर्व तरीके से जीवन स्तर में बदलाव लाया है, जिसका श्रेय मेहनतकश सेब उत्पादकों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों जैसे बागवानों को उच्च पैदावार किस्मों के सेब तथा बेहतर विपणन के लिये प्रदान की जा रही अधोसंरचना को जाता है।

राज्य सरकार सेब उत्पादकों के विभिन्न समस्याओं का समग्र समाधान करने के लिए वचनबद्ध है। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में उत्पादकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये राज्य सरकार ने उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बागवानों की मूल्यवान फसलों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई है। आरम्भ में यह योजना सब फसल के लिए 6 खण्डों तथा आम की फसल के लिए 4 खण्डों में लागू की गई है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इसके दायरे राज्य के अन्य खण्डों में भी बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान यह योजना सेब के लिए 36 खण्डों, आम फसल के लिए 41 खण्डों, किनू के लिए 15 खण्डों, पलम के लिए 13 खण्डों तथा आडू फसल के लिए 5 खण्डों में कार्यान्वित की गई है।

इसके अतिरिक्त, ओलावृष्टि से सेब की फसल को बचाने के लिए इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 17 खण्डों में अतिरिक्त कवर प्रदान किया गया है। वर्ष 2014-15 के रबी की फसल के दौरान मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत सेब के लिए 97,246 उत्पादकों को लाया गया है। सेब उत्पादकों ने अपने 61,69,865 सेब पौधों का बीमा करवाया है, जिसके लिए प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत प्रीमियम की अदायगी पर 9.22 करोड़ रुपये का अनुदान वहन करेगी। योजना के अन्तर्गत 34.50 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान कर 92,423 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

राज्य में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 1115 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है। सात वर्षों की अवधि तक कार्यान्वित की जाने वाली इस परियोजना के अन्तर्गत फसल उत्पादन में वृद्धि करने एवं क्षमता निर्माण के लिए बागवानों को नई तकनीक प्रदान करने पर बल दिया जाएगा। फल फसलों विशेषकर सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए राज्य सरकार ने एंटी हेलनेट पर अनुदान को 80 प्रतिशत तक बढ़ाया है।

किसानों को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने वर्तमान कार्यकाल के दौरान 27.45 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके 10 विपणन मण्डियों एवं एकत्रण केन्द्रों को क्रियाशील बनाया है। इनके अलावा, निरमण्ड, घुमारवीं, पालमपुर चरण-2 तथा चरण-1 में चार उप-मण्डियों का निर्माण पूरा किया गया है। कुल्लू जिला के चौरीबेहल, कांगड़ा के फतेहपुर तथा ऊना जिले के भदशाली में तीन उप-मण्डियों का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होगा। अन्य 6 उप-मण्डियों का कार्य प्रगति पर है और राज्य सरकार शिमला जिले के मेंहदली, सुन्नी, टूट्, ढली चरण-2, सोलन जिले के परवाणु तथा कांगड़ा के धर्मशाला में सात उप-मण्डियों की स्थापना कर रही है।

राज्य में सेब एंव फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कृषि अर्थव्यवस्था को नए आयाम मिलेंगे।

1892 में देश की पहली सहकारी सभा हिमाचल के गांव में हुई थी गठित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सहकारी सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश को देश में सहकारिता संस्थापक राज्य होने का गौरव प्राप्त है। देश की पहली सहकारी सभा वर्ष 1892 में प्रदेश के ऊना जिले के गांव पंजावर में गठित की गई थी। तब से लेकर आज तक सहकारिता आंदोलन ने केवल समुदायों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में बदलाव लाया है। बल्कि समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं एवं युवाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। इन सभाओं के माध्यम से सृजित धनराशि ने राज्य के आर्थिक विकास में सरकार की सहायता भी की है।

राज्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया था। उस दौरान राज्य में कुल 843 सहकारी सभाएं थीं। जिनमें 25000 सदस्य थे और अधिकांश सभाएं निष्क्रिय थी। आज राज्य में 1.37 लाख सदस्यों की 4837 विभिन्न सहकारी सभाएं क्रियाशील हैं। इन सभाओं की अंश पूंजी 291.34 करोड़ रुपये और जमा पूंजी 196.40 करोड़ रुपये है।

सहकारी सभाओं ने कृषकों, बागवानों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कृषि एवं गैर कृषि कार्यों के लिए अल्प अवधि/मध्यम अवधि तथा दीर्घकालीन अवधि के लिए 6713 करोड़ रुपये के ऋण दिए हैं। इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से 893 करोड़ रुपये मूल्य की उपभोक्ता वस्तुएं तथा 151 करोड़ रुपये की रासायनिक खाद/ बीज एवं कीटनाशक इत्यादि वितरित किए गए हैं। सभाओं ने 187 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि और बागवानी उत्पादों का विपणन भी किया है। जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

सहकारी सभाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के अन्तर्गत समेकित सहकारी विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूरा कर लिया है।

राज्य सरकार की संस्तुति पर राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने समेकित सहकारी विकास परियोजनाओं का दूसरा चरण तीन वर्षों के लिये 3546.71 लाख रुपये की संघटित लागत के साथ बिलासपुर/ हमीरपुर और सिरमौर जिलों में आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राज्य सरकार की संस्तुतियों पर इन परियोजनाओं का दूसरा चरण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा/ शिमला तथा कुल्लू तीन और जिलों के लिए अगले तीन वर्षों के लिए स्वीकृत किया है जिसकी संघटित लागत 8170.64 करोड़ रुपये है।

इन स्वीकृत धनराशियों में से 2013.12 लाख रुपये परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों हिoप्रo राज्य सहकारी बैंक शिमला तथा कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला को जारी कर दिए गए हैं। सभी नई परियोजनाएं क्रियाशील हो चुकी हैं।

दूसरे चरण की इन समेकित सहकारी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत अधोसंरचना विकास गोदामों, विक्रय दुकानों एवं कार्यालय, वर्कशैडों का निर्माण, गोदामों की मुरम्मत, फर्नीचर की खरीद, आवश्यक उपकरणों सहित कंप्यूटरों की खरीद पर बल दिया गया है। इन परियोजनाओं में सहकारी सभाओं के कर्मचारियों/ प्रबन्धन समिति सदस्यों तथा पीआईटी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का समुचित प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार के सतत् प्रयासों एवं प्रोत्साहन के परिणामस्वरुप अधिक से अधिक लोग सहकारिता आंदोलन से जुड़ रहे हैं तथा कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान एवं ग्रामीण आर्थिकी में अपना योगदान दे रहे हैं।

साढ़े तीन साल बाद आई सोशल मीडिया की याद वीरभद्र सरकार को, प्रचार विभाग के अफसरों को खास आदेश

शिमला/शैल। जिस सोशल मीडिया के बूते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भाजपा को जैसी पार्टी सता में पहुंचा दिया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70में से 67 सीटें जीतने में कामयाब हुई उस सोशल मीडिया की याद प्रदेश सरकार को अब जाकर आई है। मजे की बात ये है कि ये याद प्रदेश सरकार को नहीं प्रदेश सरकार के प्रचार विभाग को आई है। शायद ये याद साढ़े

तीन साल का कार्याकाल पूरा करने के बाद भी नहीं आती अगर विभाग को नया निदेशक नहीं मिलता। हालांकि विभाग के मंत्री मुकेश अग्निहोत्री खुद पत्रकार रह चुके हैं लेकिन वो उद्योग विभाग में ही रम गए है।

प्रचार विभाग के नए निदेशक दिनेश मल्होत्रा ने विभाग के अधिकारियों को खास तौर पर दिए है कि वो राज्य की उपलब्धियों को रेखांकित करने, नशाखोरी व कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिये लोगों विशेषकर युवाओं से सोशल मीडिया का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया।

वह विभाग के जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मल्होत्रा ने कहा कि सोशल मीडिया का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, और अधिक से अधिक आबादी इसका उपयोग कर रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सक्षमता बढ़ाने के लिए फेस बुक, ट्वीटर जैसी सोशल साइटों का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए।

उन्होंने समाचारों व राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार प्रदेश के प्रत्येक भाग में करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोग जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर मीडिया को फोटो एवं वीडियो की पर्याप्त कवरेज उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।

सूचना के प्रसार में मीडिया की भूमिका पर जोर देते हुए मल्होत्रा ने अधिकारियों को मीडिया कर्मियों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने एवं विभाग का डाटा बैंक नियमित तौर पर अपडेट करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से फीचर सेवा और सफलता की कहानियों के सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों तक पहुंचने के लिए विभाग के प्रकाशन एक सशक्त माध्यम है और इनका वितरण निचले स्तर तक सही तरह से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया एवं प्रचार के क्षेत्र में अद्यतन तकनीकी को बनाए रखने के लिए विभाग को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इससे पूर्व, उन्होंने स्थानीय केबल ऑपरेटरों, मल्टीसिस्टम ऑपरेटरों तथा डिजिटाइजेशन पर प्रगति पर अनुश्रवण करने हेतु गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की।

मल्होत्रा ने स्थानीय केबल ऑपरेटरों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को मौजूदा एनालॉग मोड से डिजिटल मोड में परिवर्तन का आग्रह किया। उन्होंने 31 दिसम्बर, 2016 तक राज्य में सभी केबल टीवी कनेक्शनों के डिजिटाइजेशन को पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस डिजिटाइजेशन प्रक्रिया के पूरा होने से तीन सुविधाएं अर्थात इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड, टेलिविजन सिग्नल और टेलिफोनि एक ही केबल से मिलेगी, जिससे राज्य में ई-सेवाएं और सुदृढ़ होंगी। समिति के सदस्य सचिव एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के उप निदेशक यू सी कौंडल ने कार्यवाही का संचालन किया। विभाग के अतिरिक्त निदेशक आरएस नेगी, संयुक्त निदेशक, केबल आपरेटर्ज और सभी जिलों के जिला लोक सम्पर्क अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

500 ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पज अस्सिटेंट की भर्ती पर ट्रिब्यूनल का स्टे

शिमला/शैल। प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने एचआरटीसी की ओर से भर्ती किए जा रहे 500 ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पज अस्सिटेंट की आखिरी भर्ती पर स्टे लगा दिया है। ट्रिब्यूनल ने सुंदरनगर के 31 याचिककर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए एचआरटीसी को आदेश दिए वो भर्ती प्रक्रिया को जारी रखे लेकिन भर्ती को बिना ट्रिब्यूनल की इजाजत के आखिरी अंजाम तक न पहुंचाए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि एचआरटीसी कभी भी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष रख सकती हे। ये आदेश ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस वी के शर्मा और सदस्य पूर्व आईएएस हरिद्रर हीरा की खंडपीठ ने दिए। ये सभी याचिकाकर्ता एचआरटीसी के सुंदरनगर के डिपू में स्किल डवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग कर चुके हैं। इन्होंने टीएमपीए की भर्ती केलिए लिखित परीक्षा भी दे रखी है जिसका परिणाम आना बाकी हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि एचआरटीसी ने 500 टीएमपीए की भर्ती की जा रही हैं लेकिन भर्ती व पदोन्नति नियमों के मुताबिक एचआरटीसी में टीएमपीए के कोई पद ही सृजित नहीं हैं। ऐसे में ये भर्ती की प्रक्रिया गैरकानूनी हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि जिन लोगों को स्किल डवलपमेंट के तहत कंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही हैं वो गलत है। जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है उनके पास तो पहले ही कंडक्टर के लाइसेंस हैं। ऐसे में ट्रेनिंग किस बात की दी जा रही हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस भर्ती के लिए जो क्वालीफिकेशन मांगी गई है वो क्वालीफिकेशन कंडक्टरों की भर्ती की हैं। ऐसे में टीएमपीए की नहीं कंडक्टरों की कानून के मुताबिक भर्ती की जानी चाहिए।

एडवोकेट ने कहा कि एचआरटीसी को इस मसले पर जवाब देना था लेकिन एचआरटीसी ने जवाब नहीं दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

याद रहे कि इससे पहले भी एचआरटीसी में भर्ती की प्रक्रियाएं विवादों में रही हैं विधानसभा में भर्तियों को लेकर भाजपा विधायकों ने परिवहन मंत्री जी एस बाली पर अंगुलियां उठाई थी। मामला हाईकोर्ट गया तो अदालत ने भर्ती प्रक्रिया को अवैध ठहरा दिया। भाजपा व हिलोपा विधायक ने आरोप लगाया था कि अपने चहेतों को फिट किया जा रहा है। अब दोबारा इसी तरह का खेल खेला जा रहा हैं।

स्मग्लिंग कर लाया पौने चार क्विंटल चिकन की खेप को किया नष्ट

शिमला/शैल। लोगों की जिंदगी की कीमत पर व ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए राजधानी शिमला में सड़े गले व फंगस लगे चिकन की स्मग्लिंग का खुलासा हुआ है। चिकन की संदेहास्पद क्वालिटी को देखते हुए बाहर से स्मग्लिंग कर लाई गई करीब पौने चार क्विंटल की इस खेप को नष्ट कर दिया गया है।

पिछली रात को किसी ने खुफिया जानकारी भेजी कि शिमला मे एक वैन द्वारा इस चिकन की सप्लाई की जा रही है। सूचना पर कारवाई करते हुए निगम के डिप्टी मेयरटिकेंद्र पंवर की अगुवाई में निगम के अफसरों ने सब्जी मंडी मे एक चिकन की दुकान पर छापेमारी की और शिमला में चोरी-छिपे लाया गया 387 किलो अवैध चिकन बरामद किया। छापे की इस कारवाई मे दुकान में मिले इस चिकन को सड़ी हुई हालत मे पाया गया। निगम के अधिकारियों द्वारा चिकन के सैंपल भरे गये जिन्हे वेटरनरी लैब भेज दिया गया है, बाकी बरामद चिकन को निगम अधिकारियों के सामने नष्ट कर दिया गया। मौके पर कब्जे में लिए चिकन की स्थिति को देखकर लगता था कि ये चिकन मरे हुए मुर्गे व मुर्गियों का है। इसे सस्ते दामों में पड़ोसी राज्यों से लाया गया होगा। अफसरों को संदेह है कि ये चिकन संक्रमित हो सकता है।

गौर हो कि निगम खुले में काटे गए चिकन को शहर में बेचने पर पाबंदी लगा चुका है। पंवर ने कहा कि निगम इस तरह किसी भी तरह के चिकन को बेचने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि सेंपल उठाए गए हैं अगर इनमें सक्रमण होगा तो कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी।

रेड पार्टी में गए वेटरनरी पब्लिक हेल्थ अफसर नीरज मोहन ने कहा कि लिए गए सेंपलों की जांच रिपोर्ट तीन चार दिनों में आ जाएगी। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

आरएसएस का पुराने गणवेश में ऐतिहासिक अंतिम पथ संचलन

शिमला/शैल। सोमवार को ऊना जिला के अम्ब में प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 20 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। इस अवसर पर पुराने गणवेश में अंतिम पथ संचलन हुआ जोकि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह स्थानीय निवासी तथा देश-विदेश से आये श्रद्धालु भी बने, जब संघ के स्वयंसेवकों द्वारा पुराने गणवेश में किये गये पथ संचलन का क्षेत्र के निवासियों ने स्वागत किया। पथ संचलन में संघ के 300 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पथ संचलन कर रहे संघ स्वयंसेवकों का लोगों ने पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत

किया व समाप्ति पर मन्दिर में सभी स्वयंसेवकों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस पथ संचलन के बाद से अब संघ के स्वयंसेवक नये गणवेश में ही दिखेंगे। समय की मांग और युवाओं की रूचि के अनुरूप संघ के गणवेश में परिवर्तन के निर्णय की घोषणा नागौर राजस्थान में आयोजित संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में पहले ही की जा चुकी है। इस अवसर पर बोलते हुए प्रांत कार्यवाह किस्मत कुमार ने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित इस संगठन के लिए यह गौरव का क्षण है जब इस पुराने गणवेश में पूरे जोश के साथ संघ कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि देश में सभी लोगों को समाज कल्याण के अच्छे कार्यो में बढ़-चढ़ कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवकों का आह्वान किया कि जब भी देश को किसी मुश्किल क्षणों का सामना करना पड़ा हो उस समय उनको पूरी तत्परता और निष्ठा से काम करना चाहिए। उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास रहा है कि उन्होंने हर आपदा की घड़ी में सबसे पहले पहुंच कर लोगों की मद्द की है। संघ से जुड़े लोगों ने कभी भी सहायता करते समय किसी मतभेद को प्राथमिकता नहीं दी। संघ के लोग निष्पक्ष एवं सेवाभाव से काम करने के लिए जाने जाते रहे हैं। इस कार्यक्रम में वर्गाधिकारी जीतराम कटवाल (Retd, (IAS), नरेन्द्र ठाकुर, जयदेव सिंह, तथा बलदेव सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।

चोकलेट से बच्चों पर दुष्प्रभाव

शिमला। यह तो हम सभी जानते हैं कि चोकलेट बच्चों के लिए एक बहुत ही पसंदीदा खाद्य है। बच्चों को चोकलेट इसलिए दिलवाई जाती है कि वे खुश रहें, उनका कहना माने और शैतानी ना करें। क्या आप जानते हैं कि चोकलेट बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चोकलेट बनाने के लिये जो भी अवयव उपयोग किये जाते हैं वो

लगभग सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

➪ चीनी: चोकलेट में बहुत अधिक मात्रा में चीनी पायी जाती है, जिसका कोई पोष्टिक महत्व नहीं होता। इससे बच्चों के दांतों में क्षय की बीमारी और छेद तक हो सकते हैं। साथ ही भूख ना लगाना, वजन बढ़ना आदि समस्याएं हो सकती हैं।

➪ मक्खन और क्रीम: चोकलेट को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में मक्खन और क्रीम मिलाई जाती है, जिनमे बहुत अधिक मात्रा में संतृप्त वसा (Saturated Fats) होता है। 44 ग्राम की एक मिल्क-चोकलेट में 8 ग्राम संतृप्त वसा होता है और 28 ग्राम की एक डार्क-चोकलेट में 5 ग्राम संतृप्त वसा होता है जिससे रक्त में कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ती है।

➪ कार्बोहाइड्रेट: एक मिल्क - चोकलेट में 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और एक डार्क-चोकलेट में 26 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ब्लड-शुगर को बढाता है, इससे डाईबीटीज की संभावना बढ़ जाती है।

➪ कोफीन (Caffeine): डार्क-चोकलेट में पर्याप्त मात्रा में कोफीन (Caffeine) होता है, जो बच्चों के केन्द्रीय तंत्रिका तन्त्र को उत्तेजित करता है, जिससे बच्चे कुछ समय के लिए स्फूर्ति अनुभव करते हैं। मगर अधिक मात्रा में डार्क-चोकलेट खाने से कोफीन अपना विपरीत प्रभाव दिखाती है और विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है जैसे हृदय की धड़कन का बढ़ना, मानसिक तनाव, अवसाद, अनिद्रा, बैचैनी, अरूचि, कंपकंपी आदि।

➪ वनस्पति घी: चोकलेट बनाने के लिए कोकाआ के बीन्स (Cocoa Beans) से निकला कोकाआ मक्खन (Cocoa Butter) और लेसिथिन (Lecithin) आदि का प्रयोग किया जाता है, मगर भारत की गर्म जलवायु को मध्यनजर रखते हुए बहुत सी कम्पनियाँ कोका मक्खन ना मिलाकर वनस्पति घी (सामान्य भाषा में डालडा) प्रयोग का करती हैं। वनस्पति घी में निकल की पर्याप्त हानिकारक मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार से चोकलेट में भी 'निकल' की मात्रा पाई जाती है। वनस्पति घी के सेवन से कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ती है और उच्च रक्तचाप और हृदयाघात का खतरा हो सकता है। यह 'निकल' नामक तत्व बच्चों के शरीर में दांतों की खराबी, केंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, असमय सफेद बाल आदि का कारक है। एटॉमिक एब्सोर्प्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (Atomic Absorpsion Spectrophotometer) की जाँच से मालूम पड़ा है कि जहाँ 40 ग्राम औसत भार की एक चोकलेट में 4 माइक्रोग्राम निकल होना चाहिए, वहीं इसकी मात्रा 600 से 1300 माइक्रोग्राम होती है। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की पुस्तिका के मानक IS 1163 तथा 1971 में निकल को विष की श्रेणी में नहीं रखा गया है जो कि सर्वथा अनुचित है।

बड़ों को चाहिए कि वे बच्चों को चोकलेट का सेवन कम से कम करने दें, ना कि नियमित रूप से देकर उन्हें खुश रखें। अच्छा रहेगा की चोकलेट बच्चों के लिए केवल विशेष अवसरों पर उपहार में देने की वस्तु ही रखें।

– डा. महेश के. वर्मा, शिमला

भगवान शिव के बिल्ववृक्ष की महिमा

शिमला। तीन पत्तियों वाला बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इस का पेड़ कई शुभता लाता है।

बिल्व वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते।

अगर किसी की शवयात्र बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है।

वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बिल्व वृक्ष में होती है।

चार, पांच, छ: या सात पत्तों वाले बिल्व पत्रक पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है।

बेल वृक्ष को काटने से वंश का

नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है।

सुबह-शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है।

बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं।

बेल वृक्ष और सफेद आक को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।

जीवन में सिर्फ एक बार और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं।

बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है।

अनोखा आतिथ्य-सत्कार

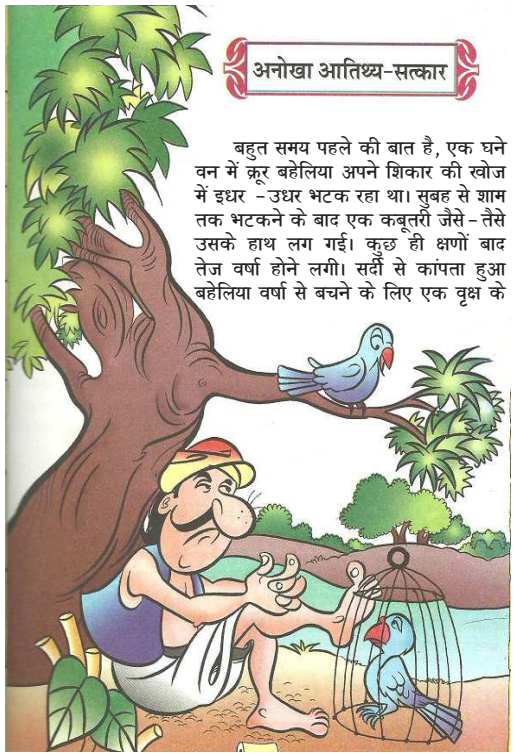

बहुत समय पहले की बात है, एक घने वन में क्रूर बहेलिया अपने शिकार की खोज में इधर -उधर भटक रहा था। सुबह से शाम तक भटकने के बाद एक कबूतरी जैसे-तैसे उसके हाथ लग गई। कुछ ही क्षणों बाद तेज वर्षा होने लगी। सर्दी से कांपता हुआ बहेलिया वर्षा से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वर्षा थम गई। उसी वृक्ष की शाखा पर बैठा कबूतर अपनी कबूतरी के पास लौटकर न आने पर दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति के विलाप को सुनकर उसी वृक्ष के नीचे बैठे बहेलिये के बंधन में फंसी कबूतरी अपने आपको धन्य मानते हुए बोली-स्वामी, मेरे लिए अपने मन को दुखी मत करो, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। तुम्हारा विलाप सुनकर मेरा मन तड़प उठा है।

कबूतरी की आवाज सुनकर उसने शाखा से नीचे देखा, उसकी पत्नी बहेलिये के बंधन मे थी। तुम यहां हो उसे देखकर कबूतर खुशी से झूमकर कह उठा।

हां स्वामी! अब आप मेरे लिए सोचना छोड़कर ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनें। यह वृक्ष हमारा निवास है और यह बहेलिया इसकी छत्रछाया में बैठा हमारा शरणागत और अतिथि है, यह भूख और प्यास से व्याकुल है। इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप सह कदापि मत सोचिये कि इसने आपकी पत्नी को बन्दी बना रखा है। इसलिए मेरे बंधन की बात भूलकर आप इस बहेलिये का यथोचित आतिथ्य करके अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करें। कबूतरी ने ऊंच-नीच का वर्णन करते हुये अपनी इच्छा प्रकट की।

पत्नी की इच्छानुसार बड़े ही शान्त स्वर में बहेलिये के पास आकर कबूतर ने कहा-श्रीमान! हमारे निवास मे आपका स्वागत है, आप मेरे अतिथि हैं। मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अतिथि भगवान का रूप होता है, उसकी सेवा करना ही गृहस्त का कर्त्तव्य होता है।

वर्षा हो चुकने के कारण तेज और ठण्ड़ी हवायें चल रही हैं, जिससे मुझे काफी ठण्ड लग रही है। किसी प्रकार मूझे ठण्ड से बचाने की व्यवस्था करें। बहेलिए ने कहा।

बहेलिए की बात सुकनकर कबूतर ने उड़ान भरी और थोड़ी ही देर में उसके आगे सूखी लकड़ियों का डेर लगा दिया और फिर कहीं से अंगारा लाकर उन लकड़ियों में आग लगा दी। आग की गर्मी से बहेलिए को काफी आराम मिला और उसकी ठंड जाती रही। वह अपने आपको काफी प्रसन्न और स्वस्थ अनुभव करने लगा।

मैं कितना अभागा हूं कि घर आए अतिथि को खिलाने के लिए मेरे पास इस वक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कबूतर ने अपनी बेबसी जताई

अतिथि का स्वागत-सम्मान करना ही बहुत है। भूख तो बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन अपमान नहीं। बहेलिए ने कहा।

श्रीमान आप चिंता न करें, मै अपने आपको आग में झोंकता हूं। आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख शांत करें। यह कहकर कबूतर ने अपने को आग में झोंक दिया।

पति के आत्मदाह कर लेने से विधवा कबूतरी अपने जीवन को व्यर्थ मानती हुई रोती-बिलखती उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। कबूतर और कबूतरी के जलकर अपने प्राण त्यागने के बाद बहेलिया काफी दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस पक्षी दम्पति की मौत का जिम्मेदार वह है। इसलिए उसने घर जाकर सुख भोगने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया और घने वन में जाकर कन्द-मूल व फल खाकर अपने जीवन व्यतीत करने लगा।

कथा-सार अतिथि चाहे शत्रु ही क्यों न हो, उसे भगवान का स्वरूप मानकर उसकी सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने मे तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। यही गृहस्थ का कर्तव्य है। अत: सदैव आतिथ्य-धर्म का पालन करें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सर्वेक्षण में फंसी आप

शिमला। हिमाचल की आम आदमी पार्टी ईकाई भंग होने के बाद अभी तक नयी ईकाई गठित नहीं हो पायी है भंग ईकाई पर भी प्रदेश में आशानुरूप काम न कर पाने का आरोप था। इसी आरोप के साथ प्रदेश ईकाई के शीर्ष नेताओं में भी मतभेद इतने गहरे हो गये थे कि प्रदेश संयोजक अपने साथ ईकाई के किसी दूसरे अधिकारी को मंच तक शेयर नहीं करने देते थे। मतभेद मन भेद बनकर जब मैं मैं तू तू तक आ गये तब एक दूसरे की परोक्ष – अपरोक्ष शिकायतों का दौर चला और इसकी कीमत पार्टी को ईकाई भंग करके चुकानी पड़ी।

ईकाई भंग होने के बाद हाईकमान ने पर्यवेक्षकों की एक टीम प्रदेश में भेजी। इस टीम ने शिमला सहित सभी जिला मुख्यालयों पर सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण सबसे पहले भंग ईकाई के सदस्यों के साथ बैठक करके शुरू हुआ। फिर इन्ही बैठकों में सर्वेक्षण के लिये एक प्रश्नोत्तरी बनायी गयी। इस प्रश्नोत्तरी के सवालों में मुख्य प्रश्न थे कि क्या आप केजरीवाल को जानते है? आमआदमी पार्टी की सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप प्रदेश में बदलाव चाहते है? क्या आप को प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिये?

आज केजरीवाल राष्ट्रीय चेहरा बन गये है। स्वाभाविक है कि आम आदमी इस नाम से परिचित है पार्टी की सरकार दिल्ली में है और बाहर उसके बारे में ज्यादा जानकारी संभव ही नहीं है। क्योंकि उसकी उपलब्धियों के विज्ञापन प्रदेश की अखबारों में तो छपते नही है। प्रदेश में बदलाव हर आदमी चाहता है आप को चुनाव लड़ने से कोई मना भी क्यों करेगा। लेकिन किसी ने यह नही पूछा कि बदलाव क्यों चाहते है प्रदेश की तो तीन मुख्य समस्याएं क्या है और उसके लिये कांग्रेस और भाजपा की जिम्मेदारी कितनी कितनी है। प्रदेश में आम आदमी को राजनीतिक विकल्प बनने के लिये क्या करना होगा। पूर्व ईकाई के काम के बारे में क्या राय है। सर्वेक्षण में इन सवालों को नहीं उठाया गया।

इस समय प्रदेश राजनीतिक तौर पर एक गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। मुख्यमन्त्री और उनकी पत्नी पूर्व सांसद को दिल्ली उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की गुहार लगानी पड़ी है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा अगली सत्ता का प्रबल दावेदार बनकर बैठा हुआ है। ऐसे में अभी आम आदमी पार्टी सर्वेक्षण के स्तर पर पहुची हुई है। हां यह अवश्य है कि उसके कुछ लोग सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय है लेकिन सोशल मीडिया अभी तक जन मीडिया नहीं बन पाया और ना ही पूरा विश्वसनीय बन पाया है। ऐसे सर्वेक्षण के बाद पार्टी क्या स्वरूप लेकर आती है इस पर सबकी निगाहे लगी है।

वीरभद्र प्रकरण पर प्रदेश भाजपा की चुप्पी क्यों

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा और इसका शीर्ष नेतृत्व पिछले कुछ अरसे से वीरभद्र प्रकरण पर एकदम मौन हो गया है। जबकि इस प्रकरण में दो लोगों चुन्नी लाल और आनन्द चौहान की गिरफ्तारी हो चुकी है। वीरभद्र और उनकी पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत के लिये गुहार लगा रखी है जब वीरभद्र सिंह के प्रधान निजि सचिव सुभाष आहलूवालिया के खिलाफ स्थानीय ईडी कार्यालय में आयी एक शिकायत के बाद सरकार और ईडी के सहायक निदेशक भूपेन्द्र नेगी क बीच एक तरह से टकराव की स्थिति बन गयी थी तब भाजपा ने उस पर इतना शोर मचाया कि विधानसत्र तक बाधित कर दिया था। पिछले तीन वर्षो में भाजपा वीरभद्र सिंह के खिलाफ जिस कदर आक्रामक रही है उसके सामने इस वक्त की चुप्पी को लेकर जनता में कई तरह की अटकलें चर्चा में है।

पिछले दिनों प्रदेश से राज्य सभा सांसद और केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा जब शिमला आये थे तब पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार और वीरभद्र को लेकर आये हर सवाल को टाल गये। उसके बाद भाजपा प्रवक्ता डा0 राजीव बिन्दल भी अपनी पत्रकार वार्ता में वीरभद्र को लेकर मौन रहे। वीरभद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने का जो दावा भाजपा ने किया था उस पर भी कुछ सामने नहीं आया है। प्रेम कुमार धूमल और अनुराग भी पहले जैसे आक्रामक नहीं है। अनुराग केन्द्रिय जांच एजैन्सीयों की धीमी प्रगति पर अपनी नाराजगी जरूर जता चुके है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से वीरभद्र सिंह ने प्रदेश को तूफानी करके जनता में जितनी घोषणाएं की है। उनके पूरा होने को लेकर भले ही जनता में सन्देह पैदा होना शुरू हो गया है लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर भी पूरी तरह खामोश चल रही है। जबकि अधिकांश घोषणाएं बजट प्रावधान के बिना है और इन पर अमल करने के लिये सरकार को हजारों करोड़ का नया कर्ज लेना पड़ेगा। पहले ही सरकार का कर्जभार खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। इस तरह विकास के यह सारे प्रयास कर्ज लेकर घी पीने का पर्याय बनते नजर आ रहें है।

इस परिदृश्य में यदि भाजपा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाये तो कहना पड़ेगा कि वह इस समय एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है। इसको लेकर दबी जुबान से यह कहा जा रहा है कि वीरभद्र प्रकरण का अन्तिम परिणाम आने में लग रही देरी के कारण इस मामले में आक्रामकता बढ़ाने से वीरभद्र के प्रति जनता में सहानुभूति पैदा होने की स्थिति बन सकती है। चर्चा है कि भाजपा हाईकमान ने इस संदर्भ में कोई सर्वेक्षण करवाया था और उसमें इस तरह का आकलन सामने आया था जिसके चलते पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। एक चर्चा यह है कि जब से नड्डा ने प्रदेश नेतृत्व लिये अपनी दावेदारी अपरोक्ष में सामने रखी है उसके बाद पार्टी के भीतरी समीकरणों में भारी बदलाव आया है। इस बदलाव के कारण भी आक्रामकता की जिम्मेदारी एक दूसरे खेमे पर डालने की रणनीति भी अपनायी जा रही है। क्योंकि पूर्व में धूमल खेमा पूरी तरह आक्रामक रहा है। बल्कि लोक सभा चुनावों में पेड़ो पर पैसे उगनें का तीर जिस तरह से घर घर तक पहुंचा था उसका परिणाम था कि कांग्रेस प्रदेश की चारों सीटें हार गयी। यहां तक कि वीरभद्र अपना विधानसभा क्षेत्र तक नहीं बचा पाये। लोक सभा चुनावों की जीत का अधिकांश श्रेय धूमल की ही आक्रामकता को जाता है।

लेकिन इस समय एक चर्चा यह भी है कि वीरभद्र जिस कदर अपने मामलों में घिरे हुए है। यदि ऐसे में वह धूमल के खिलाफ भी आय से अधिक आरोप के लिये कोई ठोस सबूत जुटा कर मामला दर्ज करवा दे तथा उसका पूरा प्रचार करवाने में सफल हो जाये तो धूमल – वीरभद्र दोनो एक बराबर धरातल पर आ सकते है। चर्चा है कि धूमल इस समय ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते है। इस तर्ज पर यह भी चर्चा है कि एडवांस स्टडीज के घन्टा चोरी प्रकरण की जांच सीबीआई के पास है और उसमें ठियोग के जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है उसके कुछ निकट सहयोगी भी सन्देह के दायरे में चल रहे है। इन सहयोगीयों के कभी जेपी नड्डा के साथ अच्छे रिश्ते रहे है। ऐसे में इन सहयोगीयों की सहायता के लिये भी नड्डा पर दवाब की चर्चा है। सबसे अधिक तो ऐग्ज के पूर्व सीबीआई संजीव चर्तुवेदी द्वारा नडडा की घेरेबन्दी को भी खामोशी का कारण माना जा रहा है। यदि भाजपा के इन नेताओं के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस आक्रामकता पर आ जाये तो यह सारे भी वीरभद्र की ही लाईन में खड़े नजर आयेगें । संभवत: इन्ही संभावनाओं के चलते यह खामोशी चल रही है।

गिरफ्तारी की आशंका

.....पृष्ठ 1 का शेष

वह इस पर डीजीपी को सोशल मीडिया में धमकी तक दे डालते हैं। यह दूसरी बात हैं कि स्वंय वीरभद्र ने भी 31.3.99 को मुख्यसचिव और एडीजीपी विजिलैन्स को पत्र लिखकर ऐसी ही धमकी दी थी। वीरभद्र की यह धमकी तो आज भी उन पर भारी पड़ सकती है और इसकी जानकारी उनके विश्वस्तों को भी है जो इस पर मौन बैठे हुए हैं। वीरभद्र की जांच के मामलों में यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि उनके विश्वस्तों ने इस बारे में उनकी ईमानदारी से सहायता करने या राय देने में उचित भूमिका नहीं निभायी है।

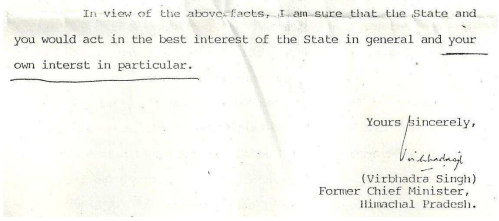

In view of the above facts, I am sure that the State and you would act in the best interest of the State in general and your own interst in particular.

Yours sincerely,

(Virbhadra Singh)
Former Chief Minister,
Himachal Pradesh.

सर्वोच्च न्यायालय में कटवाल और विद्यानाथ की सजा रही बरकरार

धूमल शासन में हुआ था भर्ती घोटाला

शिमला/शैल। 1998 से 2003 के बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के शासनकाल में हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड में हुए भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस अफसर व बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन सुरेंद्र मोहन कटवाल, मेंबर विद्यानाथ, लाभ लेने वाले अभ्यर्थी राकेश कुमार छाबड़ा व मदन गोपाल की सजा को बहाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी गोपाला गौड़ा व जस्टिस आर भानुमति ने इन सबकी याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। इसे कटवाल व धूमल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा हैं।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 2003 में सता में आने पर इस मामले की जांच करवाई थी व कटवाल व बाकियों को निचली अदालत से सजा हो गई थी। इसके बाद ये सब हाईकोर्ट आए तो हाईकोर्ट ने इन सबकी सजा को कम कर दिया व कई धाराएं भी निरस्त कर दी। लेकिन एक-एक साल की जेल की सजा व 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी।

इसके बाद कटवाल व बाकियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखते हुए आब्जर्व किया है कि हाईकोर्ट को इन सबकी सजा को कम नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा कई धाराएं जो निरस्त की हैं वो भी निरस्त नहीं की जानी चाहिए थी।

कटवाल व विद्यानाथ पर एक व्यक्ति को मेरिट सूची में शामिल करने के लिए अंक तालिका से छेडछाड़ करने का आरोप साबित हो गया था।

13 मार्च 2011 में धूमल सरकार के समय इस भर्ती घोटाले में प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस सुरजीत सिंह व जस्टिस कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने एक साल की जेल व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। यही नहीं हाईकोर्ट ने सरकार के उस आग्रह को भी ठुकरा दिया था जिसमें सरकार ने इनकी सजा बढ़ाने की मांग की थी।

मामला 2000 में शिक्षा विभाग में विद्या उपासकों की भर्ती में का था। विजीलेंस ने अपने केस में कहा था कि पैसों के बदले कटवाल ने अंकतालिका में छेड़छाड़ की थी। जबकि कटवाल की दलीलें थी कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध के कारण इस मामले में फंसाया जा रहा है।

विजीलेंस केस के मुताबिक ओवरराइटिंग कर 6 अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए गए थे। जबकि पांच अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के कुल अंकों में कोई बदलाव लाए अंक बढ़ाए गए थे। लेकिन अदालत में ये साबित हो गया कि एक अभ्यर्थी के इंटरव्यू व कुल अंकों में बढ़ोतरी की गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि उसे मेरिट सूची में शामिल किया जा सके।

2003 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी खासकर वीरभद्र सिंह ने अधीनस्थ चयन सेवाएं बोर्ड में नौकरियों के बेचने के आरोप लगाकर धूमल सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा किया था। इसी दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, मोती लाल बोहरा व अमरेंद्र सिंह ने भी धूमल पर करोड़ों की संपतियां एकत्रित करने का आरोप लगाया था। धूमल की कमान में भाजपा ये चुनाव हार गई थी व वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री बनने पर तत्कालीन डीएसपी व अपने खास चहेते रमेश छाजटा को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था। छाजटा का साथ सरकारी वकील कुलवीर चौहान ने दिया था। मामले पर खूब ब्यान बाजियां हुई थी। कटवाल ने वीरभद्र सिंह पर मानहानि के मुकद्दमें भी किए थे। इस बीच निचली अदालत से कटवाल को इस मामले में सजा हो गई।

कटवाल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड में सदस्य विद्यानाथ की सजा भी बहाल रखी है। इन दिनों वीरभद्र सिंह खुद भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं व ईडी व सीबीआई उनके पीछे पड़ी हैं। अब दोनों को बयानबाजी करने का मौका मिल गया है।